[illegible]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

[illegible]

अतारांकित प्रश्न [illegible]: 2057

29 [illegible], 2019 [illegible] प्रश्न [illegible]

आयुष्मान भारत के तहत उपचार को लागत

2057. श्री [illegible]
श्री [illegible]

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या इस संबंध म उठाए गए सुधारात्मक कदमों के बाद भी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सावजनिक और निजी अस्पतालों के बीच इलाज को लागत म असमानताएं ह;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण ह;

(ग) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने मामले को जांच को है और दुरुपयोग को रोकने हेतु निजी अस्पतालों के लिए दिशा-निदश तैयार किए ह और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार/एनएचए द्वारा इस संबंध म क्या अन्य कदम उठाए गए ह या उठाए जा रहे ह?

<u>[illegible]</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य [illegible] (श्री [illegible])

(क) और (ख): जी नहों।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतगत 1393 स्वास्थ्य लाभ पैकेज ह और उनको दर निर्धारित को गई है। यह पैकेज, योजना के अंतगत पैनलबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों के लिए समान है। अस्पतालों को भुगतान किसी पैकेज विशेष के लिए निर्धारित दर के आधार पर किया जाता है।

(ग): एबी-पीएमजेएवाई के अंतगत दुरूपयोग रोकने के लिए निम्नलिखित कारवाई को गई है:

i. एबी-पीएमजेएवाई के अंतगत को जाने वाली सभी भर्तो के लिए संबंधित राज्य स्वास्थ्य एजसियां (एसएचए) से पूव-प्रमाणन आवश्यक होता है।

ii. योजना प्रारंभ होने के समय से ही धोखाधड़ी निरोधी दिशा-निदशों का एक व्यापक सेट जारी किया गया है।

iii. सभी राज्यों को नियमित धोखाधड़ी-निरोधी एडवायजरी नोट जारी किए जाते ह जिसम उन्ह धोखाधड़ी को रोकने, पता लगाने और नियंत्रण हेतु उपाय अपनाने का परामश दिया जाता है। सभी कायान्वयन कारी राज्यों को अब तक 12 एडवायजरी नोट जारी किए गए ह।

iv. भुगतान करने से पहले धोखाधड़ी एवं दुरुपयोग वाले सभी पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए या अनिवाय पूव प्रमाणन और आवश्यक विस्तृत प्रलेखों हेतु आरक्षित रखे जाते ह।

v. धोखाधड़ी निरोधी तंत्र को संपूण निगरानी एवं कायान्वयन हेतु राष्ट्रीय धोखाधड़ी निरोधी एकक (एनएएफयू) को स्थापना को गई है। राज्य स्तर पर एनएएफयू को सहायता राज्य धोखाधड़ी निरोधी एकक (एसएएफयू) करती ह।

vi. धोखाधड़ी को पुष्टि होने के बाद वसूली एवं कारवाई करने हेतु राज्यों को दिशा-निदश जारी किए गए ह।

(घ): एबी-पीएमजेएवाई के अंतगत दुरुपयोग रोकने के लिए उठाये गए कुछ अन्य कदम निम्नवत ह:

I. अति उपयोग हेतु संदिग्ध मामलों का पता लगाने के लिए रियल टाइम डेशबोर्डों के माध्यम से उपयोग डेटा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

II. विभिन्न धोखाधड़ी नियंत्रण उपायों के आधार पर संदिग्ध मामलों और संस्थाओं को चिह्नित किया जाता है और इनके परिणाम व्यापक जांच हेतु राज्य एजसियों के साथ साझा किए जाते ह।

III. किसी भी गलत काय का पता लगाने के लिए रडम और उद्देश्यपूण रूप म अस्पतालों के एसएएफयू के साथ नियमित संयुक्त मेडिकल जांच संचालित को जाती है।

IV. मामलों को तीव्र जांच हेतु मोबाइल फोल्ड इंवेस्टीगेशन एप प्रारंभ करना।

V. मामलों के रियल टाइम टिटेक्शन हेतु आईटी प्रणाली म धोखाधड़ी निरोधी ट्रिगस का स्वचलन।

VI. राज्य स्तरों पर क्षमता निमाण करना ताकि वे भी ऐसा विश्लेषण कर सक।

*****